रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 1992/भाद्र 16, 1914
No. 165] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 1992/BHADRA 16, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(बंजर भूमि विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1992

सं. ए.-11011/4/92-प्रशा.—ग्रामीण विकास मंत्रालय में बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड के सृजन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसकी संरचना, भूमिका और कार्य निम्न प्रकार होंगे:—

संरचना

क. पदेन सदस्य

1. बंजर भूमि विकास राज्य मंत्री — अध्यक्ष
2. सदस्य, योजना आयोग, ग्रामीण विकास के प्रभारी — सदस्य

भारत सरकार के निम्नलिखित विभागों के सचिव—

3. कृषि एवं सहकारिता — सदस्य
4. ग्रामीण विकास — सदस्य
5. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा — सदस्य
6. व्यय — सदस्य (वित्त)
7. पर्यावरण एवं वन — सदस्य
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — सदस्य
9. पशु पालन एवं डेयरी — सदस्य
10. सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग संरक्षण बोर्ड — सदस्य
11. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक — सदस्य

ख. सांसद सदस्य

12 एवं 13. संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक-एक सदस्य) — सदस्य

14–18 बंजर भूमि विकास और संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई स्वयंसेवी एजेंसियों, सहकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधि (5 से अधिक नहीं) (इन्हें अध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष नामित किया जाता है) — सदस्य

19.–21. तीन राज्यों के विकास आयुक्त (जिन्हें अध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष नामित किया जाता है) — सदस्य

ग सदस्य-सचिव

22. सचिव (बंजर भूमि विकास) — सदस्य-सचिव

भूमिका एवं कार्य :

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड मुख्य रूप से गैर-वनक्षेत्रों में बंजर भूमि के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। जिसका उद्देश्य भूमि के निम्नीकरण को रोकना, देश में ऐसी बंजर भूमि को निरंतर इस्तेमाल में लाना और वानिकी, विशेष रूप से ईंधन और चारे का उपलब्धता में वृद्धि करना है। बोर्ड लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने, बंजर भूमि विकास की प्रायोजना और कार्यान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल में लाने के लिए एक मिशन नीति अपनाएगा। इसके लिए यह—

(क) राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड के सहयोग से देश में गैर-वन क्षेत्रों में सतत रूप से बंजर भूमि के प्रबंध एवं विकास के लिए एक भावी योजना तैयार करेगा;

(ख) ऐसी बंजर भूमि का पता लगाएगा, एक विश्वसनीय आंकड़ा आधार बनाएगा और गैर-वन क्षेत्रों में बंजर भूमि के विकास के लिए अपेक्षित संसाधन और सहायता जुटाने के लिए केन्द्र और राज्यों के संबंधित विभागों/एजेंसियों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा;

(ग) ऐसी बंजर भूमि के समेकित विकास विशेष रूप से ईंधन और चारे के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक किफायती ढंग से क्रमबद्ध प्रायोजना और कार्यान्वयन के जरिए कार्य-पद्धतियां तैयार करेगा;

(घ) गैर-वन और निजी बंजर भूमि पर ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी के वृक्ष उगाना ताकि वन क्षेत्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके और उद्योग तथा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके;

(ङ) अनुसंधान प्रायोजित करेगा और बंजर भूमि विकास के लिए नई तथा उचित प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुसंधान निष्कर्षों का विस्तार करेगा;

(च) जन-जागरूकता सृजित करेगा और स्वयंसेवी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्यों की सहायता से गैर-वन वाले क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास के लिए लोगों के आन्दोलन को प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा और सामुदायिक/सार्वजनिक भूमि तथा अन्य इसी प्रकार के निम्न कोटि के सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों के भागीदारी पूर्ण तथा स्थायी प्रबन्ध को बढ़ावा देगा;

(छ) ऐसी बंजर भूमि से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्य योजनाएं समन्वित करेगा और उनकी निगरानी करेगा ताकि एक क्रमबद्ध और किफायती ढंग से भूमि की गुणवत्ता को उन्नत बनाया जा सके; और

(ज) देश में गैर-वन क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी अन्य आवश्यक उपाय करेगा।

नोट : गैर-वन क्षेत्रों से आशय उन क्षेत्रों से है जिनकी देखरेख राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिक विकास बोर्ड द्वारा नहीं की जा रही है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. के. ए. नायर, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Wastelands Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th September, 1992

No. A. 11011/4/92-Admn.—Consequent upon the setting up of the Department of Wastelands Development in the Ministry of Rural Development and the creation of the National Afforestation and Eco-Development Board in the Ministry of Environment & Forests, it has been decided to reconstitute the National Wastelands Development Board (NWBD) with the following composition, role and functions :

COMPOSITION

A. Ex-Officio Members :

CHAIRMAN

1. Minister of State of Wastelands Development

MEMBERS

2. Member, Planning Commission, in charge of Rural Development

Secretaries to the Government of India in the Departments of—

3. Agriculture & Cooperation
4. Rural Development
5. Agricultural Research and Education
6. Expenditure — Member (Finance)

MEMBERS

7. Environment & Forests
8. Science & Technology
9. Animal Husbandry and Dairying
10. Member-Secretary, National Land-Use and Conservation Board
11. Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development

B. Nominated Members

12 & 13 Members of Parliament (one each from the Lok Sabha

14—18. Representatives (not exceeding five) of Voluntary Agencies, Cooperative Institutions, etc. connected with wastelands development and related activities (to be nominated each year by the Chairman)

19—21. Development Commissioners of three States (to be nominated each year by the Chairman)

C. Member-Secretary

22. Secretary (Wastelands Development)

ROLE AND FUNCTIONS

The National Wastelands Development Board will be mainly responsible for development of wastelands in non-forest areas aimed at checking land degradation, putting such wastelands in the country to sustainable use and increasing biomass availability, specially fuelwood and fodder. The Board will adopt a mission approach for enlisting people's participation, harnessing science and technology for the planning and implementation of wastelands development. To this end, it will—

(a) formulate, in collaboration with the National Land-Use and Conservation Board, a perspective plan for the management and development of wastelands in the non-forest areas in the country in a sustainable manner ;

(b) identify such wastelands, create a reliable data base and collaborate with the concerned Central and State Departments|Agencies, Local Bodies, Voluntary Agencies and other Non-Governmental Organisations to mobilise the resources and support required for development of wastelands in non-forest areas;

(c) evolve mechanisms for integrated development of such wastelands through systematic planning and implementation, in a cost-effective manner, specially to meet the need of the people in the rural areas in respect of fuelwood and fodder;

(d) raise fuelwood, fodder and timber on non-forest and private wastelands in order to reduce the pressure on the forest areas and to meet the needs of industry and market;

(e) sponsor research and extension of research findings to disseminate new and appropriate technologies for wastelands development;

(f) create general awareness and help foster a people's movement for wastelands development in non-forest areas with the assistance of Voluntary Agencies, Non-Government Organisations, Panchayati Raj Institutions and others, and promote participatory and sustainable management of community|public lands and other similar degraded common property resources;

(g) coordinate and monitor the Action Plans for activities related to such wastelands in order to upgrade land quality in a systematic and cost-effective manner; and

(h) undertake all other measures necessary for promoting wastelands development in non-forest areas in the country.

Note : The reference to non-forest areas denotes such of those areas as are not being dealt with by the National Afforestation and Eco-Development Board.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. K. A. NAIR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992